

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

जय शंकर

बनाम

अनुराग कुमार एवं अन्य

2023 की दीवानी विविध क्षेत्राधिकार सं. 635

13 अगस्त 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा)

विचार के लिए मुद्दा

अभिभावकों और परिवार के सदस्यों सहित कई पक्षों से संबंधित संपत्ति विवादों के संबंध में याचिकाकर्ता की कानूनी स्थिति और अधिकारों तथा ऐसे विवादों में वित्तीय संस्थान की भागीदारी के निहितार्थ के बारे में मुद्दा उठा।

हेडनोट्स

वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है: "(i) याचिकाकर्ता द्वारा 04.11.2022 को उप न्यायाधीश प्रथम, दानापुर की अदालत में आदेश 1 नियम 10(2) और सीपीसी की धारा 151 के तहत दायर आवेदन का निपटारा करने के निर्देश के लिए, शीर्षक विभाजन वाद संख्या 87/2018 में आवश्यक पक्ष (हस्तक्षेपकर्ता प्रतिवादी) के रूप में पक्षकार बनने के लिए, मौजा दानापुर सहजादपुर, पंचुचक, सुल्तानपुर गोला रोड, पीएस- दानापुर, जिला-पटना के सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 1380, खाता संख्या 367 की 12342 वर्ग फुट यानी 28.22 डिसमिल भूमि के क्रेता के रूप में, प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक एसपीएल एसएमई, शाखा, पटना द्वारा जारी दिनांक 20/03/2021 के बिक्री प्रमाण पत्र और बाद में दिनांक 11/03/2021 के पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदी गई। केनरा बैंक एसपीएल एसएमई, शाखा, पटना द्वारा वित्तीय आस्तियों के

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई.) अधिनियम, 2002 के तहत दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित दिनांक 28/07/2020 की खुली नीलामी बोली में सफल होने के बाद 14/02/2022 को एक समय सीमा के भीतर और आगे याचिकाकर्ता को उपरोक्त शीर्षक विभाजन मुकदमे में आवश्यक पक्ष के रूप में अनुमति देने के लिए। - आगे विद्वान निचली अदालत को निर्देश देने के लिए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन में 12342 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले प्लॉट के संबंध में उठाए गए मुद्दे पर निर्णय ले, यानी मौजा दानापुर सहजादपुर, पंचुचक, सुल्तानपुर गोला रोड, पीएस-दानापुर, जिला पटना के सर्वे प्लॉट संख्या 1380, खाता संख्या 367 की 28.33 डिसमिल भूमि, जिसे एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की नीलामी बोली के तहत दिनांक 14/02/2022 की बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा गया था एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम, 2002 की धारा 34 के प्रावधान के मद्देनजर उप न्यायाधीश प्रथम, दानापुर की अदालत में लंबित शीर्षक विभाजन वाद संख्या 87/2018 की कार्यवाही - साथ ही याचिकाकर्ता की पीठ पीछे शीर्षक विभाजन वाद संख्या 87/2018 में पारित दिनांक 25/05/2022 के निषेधाज्ञा आदेश को रद्द करने के लिए, विशेष रूप से याचिकाकर्ता की खरीदी गई भूमि की सीमा तक। इसके अलावा अं.आ. सं. 02 of 2024 के माध्यम से प्रार्थना की गई - याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई भूमि की सीमा तक अर्थात् उक्त शीर्षक विभाजन वाद की कुल वाद भूमि में से 12342 वर्ग फुट (28.33 डिसमिल) क्षेत्र तक के वाद को खारिज करने के लिए। जहां तक संहिता के आदेश 1 नियम 10 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर दिनांक 04.11.2022 की याचिका का संबंध है, विद्वान परीक्षण द्वारा दिनांक 30.06.2023 के आदेश के माध्यम से पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उक्त राहत निष्फल हो गई है, इसलिए राहत संख्या 1 (i) के संबंध में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक राहत संख्या 1 (iii) के संबंध में वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता का संबंध है, सामान्यतः यह न्यायालय ऐसी याचिका पर

विचार नहीं करना चाहेगा जहाँ संहिता के अंतर्गत ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील हेतु विशिष्ट प्रावधान किया गया हो। वादपत्र को अस्वीकार करने या याचिकाकर्ता द्वारा वाद की संपत्ति से खरीदी गई भूमि को बाहर करने के लिए मांगी गई राहत के संबंध में, याचिकाकर्ता पहले से ही विद्वान निचली अदालत के समक्ष हैं और उसने इस न्यायालय से विद्वान निचली अदालत को इस मुद्दे पर निर्णय देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। जहाँ तक 25.05.2022 के निषेधाज्ञा आदेश के बारे में याचिकाकर्ता के तर्क का संबंध है, यह स्थापित कानून है कि निषेधाज्ञा का आदेश केवल आदेश के पक्षकारों को ही प्रभावित करेगा। चूँकि निषेधाज्ञा आदेश पारित होने के समय याचिकाकर्ता पक्षकार नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता निषेधाज्ञा आदेश से अप्रभावित रहेगा। हालाँकि, चूँकि अब याचिकाकर्ता को एक पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है, इसलिए उसे उचित आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है। और विद्वान विचारण न्यायालय से समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा आदेश में संशोधन करने का अनुरोध करता हूँ। याचिकाकर्ता ने अपनी खरीदी गई संपत्ति को वाद की विषय-वस्तु के रूप में शामिल करने के बारे में पहले ही कुछ मुद्दे उठाए हैं, हालाँकि एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 34 किसी भी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी वाद या कार्यवाही पर विचार करने के लिए सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिबंधित करती है जिसके लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण को अधिकार प्राप्त है। अतः, याचिकाकर्ता का यह दावा कि विद्वान उप-न्यायाधीश को एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई भूमि से संबंधित वाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, याचिकाकर्ता को निषेधाज्ञा आदेश को वापस लेने/संशोधित करने के लिए विद्वान उप-न्यायाधीश प्रथम, दानापुर के समक्ष सभी मुद्दे उठाने की स्वतंत्रता है - यदि आवश्यकता पड़े, तो विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करे और याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में उचित आवेदन प्रस्तुत करने के एक महीने के भीतर उचित

आदेश पारित करे। उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है। परिणामस्वरूप, 2023 का अं.आ. सं. 01 का भी निपटारा किया जाता है।

न्याय दृष्टान्त

एस. पी. चेंगलवराय नायडू बनाम जगन्नाथ ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 853: (1994) 1 एस. सी. सी. 1; ए.वी. पपाया शास्त्री एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य 2007 (2) पीएलजेआर (एससी) 201; विरुधुनगर हिंदू नादरगल धर्म परिबालन सबाई और अन्य बनाम तूतीकोरिन एजुकेशनल सोसाइटी और अन्य (2019) 9 एससीसी 538; मोहम्मद अली बनाम वी. जया एवं अन्य 2022 (4) पीएलजेआर (एससी) 127; मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एआईआर 1962 पटना 443; राम प्रसाद सिंह बनाम सुबोध प्रसाद सिंह और अन्य एआईआर 1983 पटना 278; ओलिंडा फर्नांडीस बनाम गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एवं अन्य (2016) 13 SCC 298; जगदीश सिंह बनाम हीरालाल एवं अन्य एआईआर 2014 एससी 371; हृदय नारायण बनाम आयकर अधिकारी एआईआर 1971 एससी 33.

अधिनियमों की सूची

भारतीय संविधान, अनुच्छेद 227 - उच्च न्यायालयों की पर्यवेक्षी अधिकारिता से संबंधित; संपत्ति विवादों को नियंत्रित करने वाले संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के प्रासंगिक प्रावधान; वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई.) अधिनियम, 2002।

मुख्य शब्दों की सूची

अधिकार क्षेत्र; संपत्ति विवाद; वित्तीय संस्थान; अभिभावक; उचित प्रक्रिया; नागरिक प्रकृति; प्रतिनिधित्व

प्रकरण से उत्पन्न

यह मामला संपत्ति के अधिकारों और उन अधिकारों को लागू करने में वित्तीय संस्थान की भूमिका, साथ ही संबंधित अभिभावकों के कानूनी प्रतिनिधित्व से संबंधित कई पक्षों के बीच विवाद से उत्पन्न हुआ है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री के. एन. चौबे, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री अवधेश कुमार पंडित, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं सं. 1 से 5 के लिए : श्री जे. एस. अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री गौरव प्रताप, अधिवक्ता; श्री हिमांशु शेखर, अधिवक्ता; श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता सं. 7 के लिए : श्री रे सौरभ नाथ, अधिवक्ता; श्री राजेश सिन्हा, अधिवक्ता

बैंक के लिए: श्री सिद्धार्थ हर्ष, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा तैयार किए गए हेडनोट्स: शारंग धर उपाध्याय, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 का दीवानी विविध क्षेत्राधिकार सं. 635**

=====

जय शंकर, पिता- जवाहर राय, निवास- घर सं. 64 समस्तु स्थान, बिहटा, पोस्ट और थाना- बिहटा, जिला-पटना।

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. अनुराग कुमार, पिता- श्री बबन कुमार, संरक्षक का नाम- श्री बबन कुमार, निवास- सुल्तानपुर, पोस्ट- दानापुर कैंट, थाना- दानापुर, जिला- पटना।

बैंक के लिए : श्री सिद्धार्थ हर्ष, अधिवक्ता
= = = == = = = = = == = = = = = == = = = = = == = = = = =

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा
सी.ए.वी. निर्णय

दिनांक: 13-08-2024

2024 का अं.आ. सं. 02

वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन निम्नलिखित राहत जोड़ते हुए प्रार्थना में संशोधन के लिए दायर किया गया है:-

1(v). याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई भूमि के संबंध में वाद को खारिज करने के लिए, अर्थात् 12342 वर्ग फुट (28.33 डिसे.) भूमि, सर्वे प्लॉट सं. 1380, खाता सं. 367, मौजा दानापुर सहजादपुर, पंचुचक, सुल्तानपुर गोला रोड, थाना- दानापुर, जिला पटना प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक एसपीएल एसएमई, शाखा, पटना द्वारा जारी दिनांक 20/03/2021 के विक्रय प्रमाण पत्र के माध्यम से और बाद में दिनांक 14/02/2022 के पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदा गया, जो केनरा बैंक एसपीएल एसएमई, शाखा, पटना द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई.) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में दिनांक 18.07.2020 को प्रकाशित विक्रय सूचना के अंतर्गत दिनांक 28/08/2020 की खुली नीलामी बोली में सफल होने के बाद खरीदा गया।

2. अंतरिम आवेदन (अं.आ.सं. 02/2024) में बताए गए कारणों से, इसे अनुमति दी जाती है और इसे मुख्य याचिका का हिस्सा माना जाएगा।

2023 का सीडब्ल्यूजेसी सं. 635

3. वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

“(i) याचिकाकर्ता द्वारा 04.11.2022 को उप न्यायाधीश प्रथम, दानापुर की न्यायालय में दायर आवेदन आदेश 1 नियम 10(2) और दी.प्र.सं. की धारा 151 के तहत निपटाने के निर्देश के लिए स्वत्व विभाजन वाद सं. 87/2018 में आवश्यक पक्षकार (हस्तक्षेपकर्ता उत्तरदाता) के रूप में पक्षकार बनने के लिए जो 12342 वर्ग फुट क्षेत्रफल का क्रेता है, अर्थात् 28.22 डिसे. सर्वेक्षण प्लॉट सं. 1380, खाता सं. 367 की भूमि पंचूचक, मौजा दानापुर सुल्तानपुर गोला सहजादपुर, रोड, थाना-दानापुर, जिला-पटना, केनरा बैंक एसपीएल एसएमई, शाखा, पटना के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दिनांक 20/03/2021 के बिक्री प्रमाण पत्र के माध्यम से खरीदी गई है और बाद में दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में दिनांक 28/07/2020 को केनरा बैंक एसपीएल एसएमई, शाखा, पटना द्वारा प्रकाशित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई.) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत खुली नीलामी बोली में सफल होने के बाद दिनांक 14/02/2022 के पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से ससमय खरीदा गया और इसके

अलावा याचिकाकर्ता को उपरोक्त स्वत्व विभाजन वाद में आवश्यक पक्षकार के रूप में अनुमति देने के लिए।

(ii) विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन में मौजा दानापुर सहजादपुर, पंचुचक, सुल्तानपुर गोला रोड, थाना-दानापुर, जिला पटना के खाता सं. 367, सर्वे प्लॉट सं. 1380 के 12342 वर्ग फीट यानी 28.33 डिसमिल भूमि वाले प्लॉट के संबंध में उठाए गए मुद्दे पर निर्णय ले, जिसे एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की नीलामी बोली के तहत 14/02/2022 की बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा गया है और उपरोक्त प्लॉट के क्षेत्र को प्रवितीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई.) अधिनियम, 2002 की धारा 34 के प्रावधान के मद्देनजर प्रथम उप न्यायाधीश, दानापुर की न्यायालय में लंबित स्वत्व विभाजन वाद सं. 87/2018 की कार्यवाही से बाहर रखा जाए।

(iii) याचिकाकर्ता की पीठ पीछे स्वत्व विभाजन वाद सं. 87/2018 में पारित दिनांक 25/05/2022 के निषेधाज्ञा आदेश को रद्द करने के लिए, विशेष रूप से एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम कार्यवाही के तहत मौजा दानापुर के खाता सं. 367, प्लॉट सं. 1380 के खरीदे गए क्षेत्र की सीमा तक।

(iv) याचिकाकर्ता आगे किसी अन्य उपयुक्त रिट/आदेश/ निर्देश जिसका वह हकदार है जारी करने का भी प्रार्थना करता है।

4. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि उत्तरदाता सं. 5 ने उत्तरदाता सं. 1 से 4 के साथ मिलकर अपने पति/ उत्तरदाता सं. 6 और उत्तरदाता सं. 7 और 8 के विरुद्ध स्वत्व विभाजन वाद सं. 87/2018 दायर किया है, जिसमें अनुसूची 1 की वादग्रस्त संपत्ति के विभाजन के लिए प्रत्येक वादी के लिए 1/6 हिस्सा मांगा गया है। वादियों ने दो विकास कार्य समझौतों को भी प्रारंभ से ही शून्य घोषित करने की मांग की है। वादियों ने उत्तरदाता सं. 1/उत्तरदाता सं. 6 के विरुद्ध अनुसूची 1 की वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरित करने से और अन्य उत्तरदाताओं के विरुद्ध अनुसूची II की भूमि पर कोई भी निर्माण करने से अस्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की है। याचिकाकर्ता स्वयं को अनुसूची I की वाद संपत्ति की 28.33 डेसिमल (12342 वर्ग फुट) भूमि का स्वामी होने का दावा करता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 41 डेसिमल है जो सर्वेक्षण प्लॉट सं. 1380, खाता सं. 367, मौजा- दानापुर सहजादपुर, पंचुचक, सुल्तानपुर गोला रोड, थाना- दानापुर, जिला- पटना में स्थित है। 12342 वर्ग फुट/28.33 दशमलव क्षेत्रफल वाली यह भूमि उत्तरदाता सं. 5 के पति, बबन कुमार द्वारा केनरा बैंक, एसपीएल एसएमई शाखा, पटना में गिरवी रखी गई थी, जिन्हें उत्तरदाता सं. 6 के रूप में पक्षकार बनाया गया है और वे उक्त संपत्ति के पूर्ण स्वामी हैं। उन्होंने पंजीकृत बंधक विलेख सं. 9723 दिनांक 10.09.2015 को निष्पादित किया है, यह ऋण राशि उत्तरदाता सं. 6 द्वारा मेसर्स आर्यन फूड एंड एगो एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक के रूप में मुर्गी पालन और पशु आहार निर्माण उद्योग स्थापित करने और चलाने के उद्देश्य से ली गई थी। उत्तरदाता सं. 6 ने 2015 में उत्तरदाता बैंक/उत्तरदाता सं. 9 से 28.80 लाख रुपये की नकद ऋण सीमा और 100 लाख रुपये के सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की और ऋण की राशि के लिए सुरक्षा बनाने के लिए बैंक के पक्ष में बंधक का पंजीकृत विलेख निष्पादित किया। जब उधारकर्ता उत्तरदाता बैंक/उत्तरदाता सं. 9 को ऋण राशि का भुगतान करने में विफल

रहा, तो उत्तरदाता बैंक ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम, 2002' कहा जाएगा) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, 28.08.2020 को खुली नीलामी बोली के लिए बंधक संपत्ति के लिए 18.07.2020 को एक दैनिक समाचार पत्र में बिक्री सूचना प्रकाशित की। याचिकाकर्ता ने बोली में भाग लिया और 1,45,612.50 रुपये की टीडीएस राशि सहित कुल 1,94,15,000/- रुपये की प्रतिफल राशि पर बोली संपत्ति प्राप्त की। इसके बाद केनरा बैंक, पटना के प्राधिकृत अधिकारी, उत्तरदाता सं. 10 द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 20.03.2021 का बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया। अनुसूचित संपत्ति (नीलामी संपत्ति) की बिक्री केनरा बैंक द्वारा मांगी गई राशि जमा करने पर केनरा बैंक को ज्ञात सभी भारों से संपत्ति को मुक्त कर दी गई। याचिकाकर्ता को दिनांक 07.04.2021 के पत्र के माध्यम से कब्जा सौंप दिया गया और याचिकाकर्ता ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को ई-नीलामी में नीलामी संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के संबंध में सूचित किया। संबंधित बैंक द्वारा 20.03.2021 को याचिकाकर्ता के पक्ष में नीलामी संपत्ति के संबंध में बिक्री का प्रमाण पत्र जारी किया गया और अंततः, केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में सर्वेक्षण भूखंड सं. 1380, खाता सं. 367, मौजा दानापुर सहजादपुर, पंचुचक, सुल्तानपुर गोला रोड, थाना दानापुर, जिला पटना की 12342 वर्ग फुट यानी 28.33 दशमलव भूमि क्षेत्रफल वाली नीलामी संपत्ति के संबंध में पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 14.02.2022 के अनुसार एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया गया। याचिकाकर्ता ने खरीदी गई भूमि के अपने नाम पर दाखिल-खारिज/जमाबंदी के लिए राजस्व प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया था और राजस्व प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के नाम पर जमाबंदी बना ली गई है और, तदनुसार, किराया रसीदें जारी कर दी गई हैं और भूमि कब्जा प्रमाणपत्र भी

याचिकाकर्ता के नाम पर जारी कर दिया गया है। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में केनरा बैंक द्वारा शुरू की गई एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. कार्यवाही, स्वत्व विभाजन वाद सं. 87/2018 के वादीगण के संज्ञान में थी और प्रथम सेट के उत्तरदाताओं द्वारा एस. ए. सं. 256/2019 के साथ एक एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अपील, बिहार राज्य के लिए एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम, 2002 की धारा 17(1) के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत शुरू की गई संपूर्ण एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. कार्यवाही को रद्द करने के लिए राहत मांगी गई थी। उक्त एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अपील को अंततः 05.02.2021 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद, वादी सं. 1 से 5/उत्तरदाता सं. 1 से 5 ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद (डीआरएटी) के समक्ष अपील सं. 51/2021 प्रस्तुत की, जिसमें याचिकाकर्ता को भी संबंधित भूमि का नीलामी क्रेता होने के नाते एक पक्ष बनाया गया है। नोटिस प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता (डीआरएटी), इलाहाबाद के समक्ष उपस्थित हुआ और मामला डीआरएटी, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। इस बीच, वादी पक्ष को स्वत्व विभाजन वाद सं. 87/2018 में दिनांक 25.05.2022 को निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त हुआ। जब स्थानीय पुलिस ने निषेधाज्ञा आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता के कब्जे और उसकी खरीदी गई भूमि पर आगे निर्माण कार्य में बाधा डालना शुरू कर दिया, तब याचिकाकर्ता ने 04.11.2022 को दानापुर के विद्वान प्रथम उप न्यायाधीश की न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 (2) और दीवानी प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें उसे स्वत्व विभाजन वाद सं. 87/2018 में एक आवश्यक पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया, क्योंकि वह वाद वाले भूखंड

के 12342 वर्ग फुट क्षेत्रफल यानी 28.33 दशमलव भूमि का क्रेता है। इसके बाद, याचिकाकर्ता द्वारा अपनी पक्षकारिता के लिए दायर की गई उपरोक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त राहतों की मांग करते हुए वर्तमान याचिका दायर करके इस न्यायालय के समक्ष आवेदन किया।

5. श्री के. एन. चौबे, पटना उच्च न्यायालय में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया कि यह वादी द्वारा धोखाधड़ी और तथ्यों को छिपाने का एक उत्कृष्ट मामला है और वादी द्वारा दायर मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। स्वत्व विभाजन वाद सं. 87/2018, अर्थात्, उत्तरदाता प्रथम सेट के वादी ने उक्त वाद की वादी और उत्तरदाता सं. 1 के बीच पारिवारिक संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया है और वादी ने गिरवी रखी गई संपत्ति को भी विभाजन वाद की अनुसूची में शामिल किया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि सर्वे प्लॉट सं. 1380, खाता सं. 368 की भूमि का 28.33 दशमलव पहले से ही वादी सं. 5 के पति द्वारा केनरा बैंक में 10.09.2015 को गिरवी रखा गया था। वादी एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. की कार्यवाही के बारे में पूरी तरह से जानते थे, वादी ने 2019 की एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अपील सं. 256 दायर करके बिहार राज्य के ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को चुनौती दी, जिसे दिनांक 05.01.2021 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

6. श्री चौबे ने आगे कहा कि धोखाधड़ी हर चीज को दूषित करती है और वादी द्वारा प्लॉट की भूमि की 28.33 दशमलव भूमि की नीलामी खरीद के बारे में इस तथ्य को छिपाना सक्रिय रूप से छिपाने के बराबर है और श्री चौबे ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **एस. पी. चेंगलवराय नायडू बनाम जगन्नाथ** का मामला

ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 853: (1994) 1 एस. सी. सी. 1 में प्रतिवेदित किए गये फैसले पर अपनी निर्भरता रखी जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक वादी, जो न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, अपने द्वारा निष्पादित सभी दस्तावेजों को जो मुकदमे से संबंधित प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। यदि वह दूसरी तरफ से लाभ प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को रोकता है तो वह न्यायालय के साथ-साथ विरोधी पक्ष पर धोखाधड़ी करने का दोषी होगा।

7. श्री चौबे ने **ए.वी. पपाया शास्त्री एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **2007 (2) पीएलजेआर (एससी) 201** में दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई निर्णय और आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया जाता है, तो उसे कानून में निर्णय या आदेश नहीं कहा जा सकता है और प्रथम न्यायालय या अंतिम न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय, डिक्री या आदेश को प्रत्येक न्यायालय, चाहे वह उच्चतर हो या निम्नतर, द्वारा अमान्य माना जाना चाहिए। इसे किसी भी न्यायालय में, किसी भी समय, अपील, पुनरीक्षण, रिट या यहाँ तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है।

8. श्री चौबे ने इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक द्वारा लगभग तीन शताब्दी पहले की गई इस टिप्पणी का भी उल्लेख किया कि "धोखाधड़ी सभी न्यायिक कृत्यों, चाहे वह धार्मिक हो या लौकिक हो, से बचा जा सकता है"। श्री चौबे ने आगे कहा कि नीलामी खरीद के तथ्य को छिपाकर वादी ने 25.05.2022 को निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिया और इसलिए ऐसा आदेश अमान्य है।

9. श्री चौबे ने आगे कहा कि दीवानी न्यायालय को एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम, 2002 के तहत कुर्क की गई संपत्ति से

संबंधित मामले पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम, 2002 की धारा 34 के प्रावधानों का हवाला दिया, जो स्पष्ट रूप से दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी भी ऐसे मामले के संबंध जिसे ऋण वसूली न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत निर्धारित करने का अधिकार है में किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने से रोकता है और यह कि एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम के प्रावधानों या बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1953 के तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्यवाई के संबंध में किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।

10. श्री चौबे ने आगे दलील दी कि एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 34 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधान अन्य कानूनों पर हावी हैं। हालाँकि, विद्वान दीवानी न्यायालय ने उपरोक्त पहलू पर विचार नहीं किया और याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर, जिसमें उसे स्वामित्व विभाजन वाद में पक्षकार बनाने और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था, कोई निर्णय न लेकर मामले में देरी की। हालाँकि, श्री चौबे ने दलील दी कि वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान, दिनांक 30.06.2023 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता की पक्षकार याचिका को स्वीकार कर लिया गया था और विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता को वाद में पक्षकार उत्तरदाता के रूप में पक्षकार बनाया गया था।

11. श्री चौबे ने आगे दलील दी कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता की ज़मीन के संबंध में दिनांक 25.05.2022 को दिया गया निषेधाज्ञा

आदेश कानून की दृष्टि से और तथ्यों के आधार पर भी गलत है क्योंकि संपत्ति संबंधित बैंक के माध्यम से एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की कार्यवाही के तहत खरीदी गई है और याचिकाकर्ता की ज़मीन जिसे उसने नीलामी में खरीदा था उसके विरुद्ध कोई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्षेत्राधिकार का अंतर्निहित अभाव था।

12. इस प्रकार, श्री चौबे ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्लॉट सं. 1380, खाता सं. 367 में याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई भूमि की सीमा तक, स्वत्व विभाजन वाद सं.87/2018 में पारित दिनांक 25.05.2022 के निषेधाज्ञा आदेश को अपास्त किया जाए और याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई भूमि की सीमा तक वाद को खारिज किया जाए।

13. उत्तरदाताओं के प्रथम सेट की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे.एस. अरोड़ा ने शुरुआत में दलील दी कि जहाँ तक प्रथम राहत का प्रश्न है, याचिका निष्फल हो गई है। याचिकाकर्ता ने स्वत्व विभाजन वाद सं. 87/2018 में पक्षकार बनने के लिए दायर अपने दिनांक 04.11.2022 के आवेदन के निपटारे के लिए विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देश देने की माँग की है। चूँकि याचिकाकर्ता को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.06.2023 के आदेश द्वारा पक्षकार बनाया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका इस सीमा तक निष्फल हो गई है।

14. श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि जहाँ तक 25.05.2022 के निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देने का संबंध है, याचिकाकर्ता के पास संहिता के आदेश 43 नियम 1 (आर) के तहत सक्षम क्षेत्राधिकार वाली न्यायालय के समक्ष एक विविध अपील दायर करने का उपाय है और उनकी याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत कार्यवाही में बनाए रखने योग्य नहीं है। इस मुद्दे पर, श्री अरोड़ा ने *विरुधुनगर हिंदू*

नादरगल धर्म परिवर्तन सबाई और अन्य बनाम तूतीकोरिन एजुकेशनल सोसाइटी और अन्य (2019) 9 एससीसी 538 में प्रतिवेदित किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि अन्य उपाय उपलब्ध थे, तो उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था।

15. श्री अरोड़ा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *मोहम्मद अली बनाम वी. जया एवं अन्य के मामले में 2022 (4) पीएलजेआर (एससी) 127* में दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने में गंभीर त्रुटि की है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित *एकपक्षीय* निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे रद्द और अपास्त किया गया था।

16. श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि यदि उपाय कहीं और है, तो याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 का सहारा नहीं ले सकता। इसके अलावा, निषेधाज्ञा का आदेश केवल मुकदमे के पक्षकार के खिलाफ है और तीसरे पक्ष को प्रभावित या संचालित नहीं करेगा। श्री अरोड़ा ने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए *मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य* के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का हवाला दिया, जो *एआईआर 1962 पटना 443* में प्रतिवेदित किया गया था कि अवज्ञा का कोई मामला उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगा जो आदेश में पक्षकार नहीं है। श्री अरोड़ा ने *राम प्रसाद सिंह बनाम सुबोध प्रसाद सिंह और अन्य* के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जो *एआईआर 1983 पटना 278* में

प्रतिवेदित किया गया था केवल पक्षकारों को ही निषेधाज्ञा आदेश की अवज्ञा के लिए अवमानना कार्यवाही में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

17. श्री अरोड़ा ने आगे बताया कि अंतरिम राहतें मुख्य राहत के सहायक के रूप में दी जाती हैं। 25.05.2022 का निषेधाज्ञा आदेश केवल इसी सीमा तक पारित किया गया है। यह एक अस्थायी उपाय है और इसे कभी भी बदला जा सकता है।

18. श्री अरोड़ा ने आगे दलील दी कि जहाँ तक राहत सं. (ii) का सवाल है, इस संबंध में प्रार्थना अपरिपक्व है क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभी तक याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर निर्णय नहीं लिया है। इसके अलावा, मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता सं. 6 ने सह-स्वामियों की सहमति के बिना संपत्ति गिरवी रख दी थी और संपत्ति की नीलामी में औने-पौने दाम पर बिक्री को देखते हुए, न्यायालय ने ऐसी बिक्री को रद्द कर दिया था और इस बिंदु पर, उन्होंने **ओलिंगा फर्नांडीस बनाम गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एवं अन्य** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जो **(2016) 13 SCC 298** में प्रतिवेदित किया गया था।

19. श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि विद्वान उप न्यायाधीश द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश कानून की दृष्टि में वैध एवं वैध है।

20. श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का दावा केवल 28.33 डेसीमल भूमि के संबंध में है और वादी ने संयुक्त परिवार की कुल संपत्ति के संबंध में विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया है और याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई संपत्ति इसका केवल एक हिस्सा है। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ वाद को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह एक विवादित प्रश्न है कि क्या वादी को मुकदमा दायर करते समय याचिकाकर्ता के दावे के बारे में जानकारी थी और

इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ छिपाया गया है। विभाजन का मुकदमा वर्ष 2018 में दायर किया गया है, जबकि केनरा बैंक ने वर्ष 2019 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण में मामला दायर किया है। वादी ने कुछ भी नहीं छिपाया है और किसी भी न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। बल्कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से कई तथ्य छिपाए हैं। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय को इस बारे में सूचित नहीं किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने 30.06.2023 को उसकी याचिका स्वीकार कर ली थी, जो उसे पक्षकार बनाने के लिए संहिता के आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत दायर की गई थी और इस प्रकार राहत सं. 1 (i) 20.06.2023 को पहले ही प्रदान की जा चुकी है। इस तथ्य को इस याचिकाकर्ता द्वारा दबा दिया गया है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को भी दबा दिया है कि 08.04.2023 को ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने स्थगन आदेश पारित किया था, फिर भी याचिकाकर्ता इस तथ्य को छिपा रहा है जबकि मामला ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष *विचाराधीन* है, हालाँकि याचिकाकर्ता पहले ही डीआरएटी, इलाहाबाद के समक्ष उपस्थित हो चुका है।

21. श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 34 और 35 लागू नहीं होती। चूँकि विभाजन का वाद वर्ष 2018 में दायर किया गया था, जबकि बैंक द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण में मामला वर्ष 2019 में दायर किया गया था।

22. श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका में कई राहतों की मांग की है, लेकिन यह कानून का एक तय सिद्धांत है कि एक रिट याचिका में केवल एक राहत मांगा जा सकता है।

23. इस प्रकार, श्री अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि विद्वान उप न्यायाधीश, दानापुर के समक्ष कार्यवाही में कोई गड़बड़ी नहीं है और इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

24. उत्तरदाता सं. 7, 9 और 10 की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क का समर्थन किया। उत्तरदाता सं. 7, 9 और 10 के विद्वान वकीलों ने दलील दी कि यह वादी की ओर से पूरी तरह से कपटपूर्ण कार्य था। वादी ने धोखे से याचिकाकर्ता को बेची गई संपत्ति को वाद की संपत्ति में शामिल कर लिया और इस तथ्य को छिपाते हुए निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिया। उत्तरदाता सं. 9 और 10 के विद्वान वकीलों ने आगे दलील दी कि एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 17 के तहत सभी पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपाय उपलब्ध हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 34 दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है और इस संबंध में उन्होंने **जगदीश सिंह बनाम हीरालाल एवं अन्य एआईआर 2014 एससी 371** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से वर्जित है।

25. उत्तरदाताओं प्रथम सेट की ओर से प्रस्तुत किए गए निवेदन के उत्तर में, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चौबे ने कहा कि अनुच्छेद 227 इस न्यायालय को अधीक्षण और यह सुनिश्चित करने की शक्ति प्रदान करता है कि अधीनस्थ न्यायालय कानून के दायरे में कार्य करें। चूंकि न्यायालय ने एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 34 द्वारा वर्जित वाद पर विचार किया है और उत्तरदाताओं प्रथम सेट की ओर से धोखाधड़ी की गई है, इसलिए इस

न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और स्थिति को ठीक करे। श्री चौबे ने आगे कहा कि वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करने में बाधा नहीं होगी। श्री चौबे ने आगे दलील दी कि जब मामले की विस्तार से सुनवाई हो चुकी है और बहस पूरी हो चुकी है, तो याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपाय तलाशने के लिए बाध्य करना उचित नहीं होगा और उन्होंने *हृदय नारायण बनाम आयकर अधिकारी* मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जो *एआईआर 1971 एससी 33* में दर्ज है, जिस पर बाद में इस न्यायालय ने कई मामलों में भरोसा किया है। इस प्रकार, श्री चौबे ने दलील दी कि वर्तमान याचिका पर विचार करने में कोई बाधा नहीं है और उन्होंने मामले के गुण-दोष पर अपनी दलील दोहराई।

26. मैंने मामले के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार किया है। चूँकि याचिकाकर्ता द्वारा संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत दिनांक 04.11.2022 को दायर याचिका को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2023 के आदेश द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है, अतः स्पष्ट है कि उक्त राहत निष्फल हो गई है और इस न्यायालय को राहत सं. 1 (i) के संबंध में कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

27. जहाँ तक राहत सं. 1 (iii) के संबंध में वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता का संबंध है, सामान्यतः यह न्यायालय ऐसी याचिका पर विचार नहीं करना चाहेगा जहाँ संहिता के अंतर्गत ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील हेतु विशिष्ट प्रावधान किया गया हो। हालाँकि, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि इस मामले की विभिन्न अवसरों पर सुनवाई हो चुकी है और जहाँ तक याचिकाकर्ता की संपत्ति का संबंध है, विद्वान विचारण

न्यायालय के समक्ष कार्यवाही एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, इस मुद्दे को बिना किसी और चर्चा के समाप्त कर दिया जाता है और याचिका को विचारणीय माना जाता है।

28. जहां तक वाद को खारिज करने या याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई भूमि को वाद की संपत्ति से बाहर करने के लिए मांगी गई राहत का सवाल है, याचिकाकर्ता पहले से ही विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष है और उसने इस मुद्दे पर निर्णय करने के लिए इस न्यायालय से विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने खरीदी गई भूमि के संबंध में अपने आवेदन में पहले ही यह मुद्दा उठाया है कि वाद के भूखंड के क्षेत्र को विद्वान उप न्यायाधीश, दानापुर की न्यायालय में लंबित स्वामित्व विभाजन वाद सं. 87/2018 की कार्यवाही से बाहर रखा जाए और कार्यवाही में द्वैधता नहीं हो सकती। इसलिए, यह न्यायालय विद्वान उप न्यायाधीश प्रथम, दानापुर को निर्देश देती है कि वह मामले को अपने हाथ में लें और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त/पेश होने की तारीख से एक महीने के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय दें, जिसमें उसके समक्ष लाए गए तथ्यों और एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम, 2002 के प्रावधानों सहित लागू कानून को ध्यान में रखा जाए।

29. जहाँ तक 25.05.2022 के निषेधाज्ञा आदेश के बारे में याचिकाकर्ता के तर्क का संबंध है, यह स्थापित कानून है कि निषेधाज्ञा का आदेश केवल आदेश के पक्षकारों को ही प्रभावित करेगा। चूँकि याचिकाकर्ता निषेधाज्ञा आदेश पारित होने के समय पक्षकार नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता निषेधाज्ञा आदेश से अप्रभावित रहेगा। हालाँकि, चूँकि याचिकाकर्ता को अब एक पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है, इसलिए उसे उचित आवेदन प्रस्तुत करने और विद्वान विचारण न्यायालय से संपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हुए निषेधाज्ञा आदेश को संशोधित करने का अनुरोध करने का

अधिकार है। याचिकाकर्ता ने अपनी खरीदी गई संपत्ति को मुकदमे की विषय-वस्तु के रूप में शामिल करने के बारे में पहले ही कुछ बिंदु उठाए हैं, हालाँकि एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 34 किसी भी ऐसे मामले के संबंध में किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने के लिए दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिबंधित करती है जिसके लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण को अधिकार प्राप्त है। अतः, याचिकाकर्ता का यह दावा कि विद्वान उप-न्यायाधीश को एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम के अंतर्गत खरीदी गई याचिकाकर्ता की भूमि से संबंधित वाद पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, याचिकाकर्ता को निषेधाज्ञा आदेश को वापस लेने/संशोधित करने के लिए विद्वान उप-न्यायाधीश प्रथम, दानापुर के समक्ष सभी मुद्दे उठाने की स्वतंत्रता है। यदि आवश्यकता पड़े, तो विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करे और याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में उचित आवेदन प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर उचित आदेश पारित करे।

30. याचिकाकर्ता और उत्तरदाताओं द्वारा तथ्यों को छिपाने के संबंध में दलील दी गई है और याचिकाकर्ता की ओर से जोरदार दलील दी गई है कि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता की खरीदी गई जमीन के संबंध में एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही को विद्वान विचारण न्यायालय के संज्ञान में न लाकर उसके साथ धोखाधड़ी की है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह मुद्दा तथ्यों के विवादित प्रश्न से संबंधित है और उक्त बिंदु पर दावे और प्रतिदावे हुए हैं, इसलिए इस मामले को विद्वान विचारण न्यायालय के मूल्यांकन के लिए छोड़ देना बेहतर है और पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को

विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि वह उत्तरदाताओं द्वारा धोखाधड़ी करने के संबंध में निर्णय पर पहुँच सके।

31. जहां तक अभियोग याचिका को अनुमति देने वाले आदेश को छिपाने का सवाल है, याचिकाकर्ता ने अंतरिम आवेदन में इस बिंदु को स्पष्ट किया है कि यह तथ्य विद्वान समन्वय पीठ के संज्ञान में तब लाया गया था जब मामला 21.09.2023 को उसके समक्ष उठाया गया था और मुझे लगता है कि स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जा सकता है।

32. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, तत्काल याचिका का निपटारा किया जाता है।

33. नतीजतन, 2023 का अं.आ. सं. 01 का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

वी.के.पांडेय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।